

	भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 नियमावली-7			
<p>किसी भी व्यवस्था के विवरण जो कि उसके नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श, या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है।</p>				

चूंकि बीबीएमबी भागीदार राज्यों के कैटिव उपयोग के लिए पानी का वितरण और विद्युत उत्पादन कर रहा है। भागीदार राज्यों के मुख्य अभियंता पानी से सम्बन्धित मामलों की टीसीएस बैठक में भाग लेने से पहले सामान्यत उनके सम्बन्धित क्षेत्रों के जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हैं और विद्युत से सम्बन्धित मामलों के लिए क्रमशः सचिव। विशेष सचिव द्वारा विद्युत उप समिति की बैठक ली जाती है। अतः ऐसे में जनता एवं बीबीएमबी के मध्य इंटरफेस की सीधी व्यवस्था नहीं है।
